कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, ,गाजीपुर।
सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, गाजीपुर मे स्थित रिकार्ड रूम के ध्वस्तीकरण के उपरान्त, रिकार्ड रूम से निकाले गये छोटे–छोटे लोहे के टुकड़ों तथा इसके साथ लगी हुयी लकड़ी की नीलामी नियमानुसार **दिनांक 08.02.2024 को अपरान्ह 04.30 बजे मुख्यालय स्थित दस कक्षीय न्यायालय भवन के मुख्य सभागार** में की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी बोली में भाग ले सकते है। नीलामी की शर्ते निम्नवत हैं :–

1– निष्प्रयोज्य लोहे के टुकड़ों तथा इसके साथ लगी हुयी लकड़ी की नीलामी जहॉ भी है तथा जिस स्थिति में है, की जायेगी।

2– किसी भी कार्य दिवस में सायं 03.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य निष्प्रयोज्य लोहे के टुकड़ों तथा इसके साथ लगी हुयी लकड़ी का निरीक्षण किया जा सकता है।

3– प्रत्येक बोलीदाता को अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4– सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली स्वीकार की जायेगी, लेकिन साथ ही जनपद न्यायाधीश महोदय, गाजीपुर को किसी भी उच्च बोली को बिना कारण बताये सरसरी तौर पर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

5– बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व मु0 10,000/– की नकद धनराशि बतौर जमानत जमा करनी होगी।

6– लोहे की न्यूनतम बोली रू0 26.50/– प्रति किग्रा तथा लकड़ी की न्यूनतम बोली रू0 10,000/– से प्रारम्भ होगी।

7– नीलामी की कार्यवाही होने के पश्चात प्रत्येक ठेकेदार को 25 प्रतिशत धनराशि अविलम्ब जमा करना होगा तथा नीलामी बोली अनुमोदित होने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह में जमा करना होगा।

8– नीलामी के उपरान्त उक्त सामग्रियो की माप तौल व ले जाने का खर्च स्वयं नीलामी प्राप्त कर्ता को वहन करना होगा।

9– नीलामी से पूर्व समिति द्वारा शर्तो में फेरबदल नीलामी समिति का आंतरिक अधिकार होगा, जिसे मानना प्रत्येक के लिए बाध्यकारी होगा।

(चन्द्रप्रकाश तिवारी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 01,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर

दिनांक–जनवरी/30/2024

1– माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– नोडल आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गाजीपुर के बेवसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों को सूचना पट्टो पर चस्पा किये जाने हेतु।

1– नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, गाजीपुर।
2– नोटिस बोर्ड, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
3– नोटिस बोर्ड, अध्यक्ष, जिला पंचायत, गाजीपुर।
4– नोटिस बोर्ड, जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर।
5– नोटिस बोर्ड, तहसीलदार ,सदर, गाजीपुर।
6– नोटिस बोर्ड, विकास भवन, गाजीपुर।
7– नोटिस बोर्ड, उपजिलाधिकारी, मु0बाद, गाजीपुर।
8– नोटिस बोर्ड, तहसीलदार, मु0बाद, गाजपुर।
9– नोटिस बोर्ड, उपजिलाधिकारी, सैदपुर, गाजीपुर।
10–नोटिस बोर्ड, तहसीलदार, सैदपुर, गाजीपुर।
11–नोटिस बोर्ड, केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।
12–नोटिस बोर्ड, नजारत, वाह्य न्यायालय मु0बाद, गाजीपुर।
13–नोटिस बोर्ड, नजारत, वाह्य न्यायालय सैदपुर, गाजीपुर।
14–सहायक नाजिर, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को 10 प्रतियो में सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करने हेतु।

(चन्द्रप्रकाश तिवारी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 01,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर

दिनांक–जनवरी/30/2024